अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

राज्य में 56 विभाग तथा 97 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2008 – 13 के दौरान बजट अनुमानों तथा राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध वास्तविकों की स्थिति **तालिका** 1.1 में दी गई है।

तालिका 1: 2008 – 13 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	7,173	6,024	7,876	7,755	8,916	9,328	10,684	10,220	12,331	11,897
सामाजिक सेवाएं	6,445	7,259	9,783	9,902	11,349	10,904	13,969	12,642	15,935	14,516
आर्थिक सेवाएं	6,470	7,035	8,072	7,530	8,142	7,997	9,923	9,054	11,348	11,557
सहायता अनुदान एवं अंशदान	193	216	90	70	76	81	103	99	170	102
कुल (1)	**20,281**	**20,534**	**25,821**	**25,257**	**28,483**	**28,310**	**34,679**	**32,015**	**39,784**	**38,072**
पूंजीगत परिव्यय	3,360	4,502	3,973	5,218	3,516	4,031	4,641	5,372	4,661	5,762
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	391	332	1,483	830	1,602	722	957	627	874	522
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,389	1,292	3,686	2,746	5,954	3,971	6,666	4,037	9,221	5,951
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	190	-	168	-	-
लोक लेखा संवितरण	80,092	11,442	52,628	14,320	66,505	15,324	73,595	17,051	75,894	21,074
अंतिम नकद शेष	-	3,405	-	493	-	377	-	2,162	-	2,697
कुल (2)	**86,232**	**20,973**	**61,770**	**23,607**	**77,577**	**24,615**	**85,859**	**29,417**	**90,650**	**36,006**
कुल योग (1+2)	**1,06,513**	**41,507**	**87,591**	**48,864**	**1,06,060**	**52,925**	**1,20,538**	**61,432**	**1,30,434**	**74,078**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणियां तथा राज्य सरकार के बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2012 – 13 के दौरान ₹ 1,30,434 करोड़ के अनुमानित कुल परिव्यय के विरूद्ध ₹ 74,078 करोड़ का कुल व्यय था। राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2008 – 09 में ₹ 20,534 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर 2012 – 13 में ₹ 38,072 करोड़ हो गया। 2008 – 13 की अवधि के दौरान नॉन – प्लान राजस्व व्यय ₹ 16,616 करोड़ से 72 प्रतिशत बढ़कर ₹ 28,616 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 4,502 करोड़ से 28 प्रतिशत बढ़कर ₹ 5,762 करोड़ हो गया ।

2008 – 13 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय ने कुल व्यय का 81 से 86 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय ने 12 से 18 प्रतिशत संघटित किया।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान चार अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (**तालिका 1.2**)।

तालिका 1.2: 2008 – 13 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व (वोटिड)						
1.	04 - राजस्व	41 (157.52)	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)
2.	08 - भवन एवं सड़कें	11 (86.18)	12 (111.52)	24 (249.50)	28 (300.75)	6 (70.41)
3.	24 - सिंचाई	10 (417.11)	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)
पूंजीगत (वोटिड)						
4.	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	29 (137.36)	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)
पूंजीगत (चार्जड)						
5.	लोक ऋण	46 (1,097.31)	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)

1.4 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

2012 - 13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम के बिना **तालिका 1.3** में दिए गए अनुसार विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 1,980 करोड़ हस्तांतरित किए। कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे ही हस्तांतरित निधियों तथा प्रमुख फ्लैगशिप स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, पर विशेष वर्ष में कितना धन वास्तव में खर्च किया गया है, को मानीटर करने के लिए राज्य में एक भी एजेंसी नहीं है तथा कोई सुलभ डाटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 1.3 : राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी	केंद्र का हिस्सा 2012-13
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	63.57
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	380.57
3.	इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	80.27
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	31.24
5.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	17.01
6.	एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	2.64
7.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (प्रशासन)	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	22.54
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	23.92
9.	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा सदन सोसाइटी	694.28
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	शिक्षा सदन सोसाइटी	2.30
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	3.72
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	282.54
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	उपलब्ध नहीं	90.82
14.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	36.49
15.	मिड डे मील	शिक्षा सदन सोसाइटी	247.80
	कुल		**1,979.71**

(स्रोतः संबंधित विभागों तथा वित्त लेखाओं द्वारा आपूरित सूचना)।

1.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2008 - 09 से 2012 - 13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
नॉन-प्लान अनुदान	524	1,617	1,766	1,246	852
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	731	920	750	675	728
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	32	51	88	51	44
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	547	669	447	783	716
कुल	**1,834**	**3,257**	**3,051**	**2,755**	**2,340**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)।

1.6 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्कीमों/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम निर्धारण, गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रणों तथा नागरिकों की अपेक्षाओं और पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया शुरू होती है। जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की फ्रीक्वेंसी तथा सीमा निश्चित की जाती है और वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब-जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2012-13 के दौरान राज्य के 940 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 25 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी की गई थी।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर निगेटिव प्रभाव है, पर रिपोर्ट की है। मुख्यत: विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों की लेखापरीक्षा तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारियों को उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करना था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखा परीक्षा पर विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार विभागों द्वारा छ: सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन ड्राफ्ट पैराओं पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित थी। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो कि हरियाणा विधान सभा को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने से पहले उनकी टिप्पणी वांछित थी। प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित इन ड्राफ्ट रिपोर्टों तथा अनुच्छेदों को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया गया था। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं, 21 ड्राफ्ट अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 10 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिए गए हैं।

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों के लेखाओं की नमूना – लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2012 – 13 के दौरान 27 मामलों में ₹ 2.86 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

1.9 लेखापरीक्षा को सरकार की जवाबदेही में कमी

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छ: माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की अर्ध – वार्षिक रिपोर्टें, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित) के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2013 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 3,323.38 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.1)*** के धन मूल्य वाले 229 निरीक्षण प्रतिवेदन के 718 अनुच्छेद जून 2013 के अंत तक बकाया थे। इनमें से 111 निरीक्षण प्रतिवेदनों से आवेष्टित 253 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। इन निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनका 30 जून 2013 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी – वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध – वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। मामला अगस्त 2013 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को भेजा गया था।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वत: सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों

के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों राज्य विधान-मंडल को प्रस्तुत[1] किए गए थे। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ***(परिशिष्ट 1.3)*** में शामिल किए गए 24 प्रशासनिक विभागों के 68 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 21 प्रशासनिक विभागों के मामले में 40 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 21 प्रशासनिक विभागों में से चार प्रशासनिक विभागों अर्थात लोक निर्माण (भवन एवं सड़क शाखा), सिंचाई, शिक्षा तथा परिवहन ने 40 अनुच्छेदों/समीक्षाओं में से 19 के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियों प्रस्तुत नहीं किए। कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक विभागों में से नौ प्रशासनिक विभागों ने ***परिशिष्ट 1.5*** में दिए गए विवरणों के अनुसार 16 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में ₹ 29.45 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आगे, लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1971-72 से 2007-08 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 413 सिफारिशें, ***परिशिष्ट 1.6*** में दिए गए विवरणों के अनुसार, संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक वांछित थी।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2013) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि वित्त विभाग ने तीव्रता से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर तुरंत फालोअप एक्शन लिया तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के तुरंत निपटान के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को विस्तृत अनुदेश जारी किए थे। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तरों के अतिरिक्त सुशासन सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध ढंग से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई टिप्पणियों के प्रस्तुतिकरण की मानीटरिंग के लिए एक शीर्ष समिति भी बनाई गई थी। परंतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के समाधान तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया में गंभीरता की कमी थी क्योंकि बहुत सी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी तक लंबित थी।

1.11 प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 28 निकायों के लेखाओं का आडिट नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखा प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 1.7*** में इंगित की गई है। लेखापरीक्षा को

[1] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09: मार्च 2010, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10: मार्च 2011, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11: फरवरी 2012 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12: मार्च 2013

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के रखने में विलंबों को **तालिका 1.5** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.5: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पटल पर रखने में विलंब

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
0 - 1	4	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।	0 - 1	1	विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
1 - 6	5		1 - 2	2	
6 - 12	-		2 - 3	6	
12 - 18	7		3 - 4	1	
18 – 24	-		4 - 5	-	
24 एवं अधिक	12		5 एवं अधिक	7	
कुल	**28**			**17**	

आगे यह देखा गया कि 6[2] स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 16 वर्षों (1996 – 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण

गत दो वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों के वर्ष – वार विवरण उनके धन मूल्य के साथ **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6: 2012 – 13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों से संबंधित विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		अनुच्छेद		प्राप्त किए गए उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	ड्राफ्ट अनुच्छेद
2010-11	4	118.09	15	28.20	1	1
2011-12	5	1,958.20	25	490 61	5	22

2012 – 13 के दौरान ₹ 1,166.63 करोड़ मूल्य वाली पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा ₹ 786.57 करोड़ मूल्य वाले 21 अनुच्छेद इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 10 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त कर लिए गए हैं जो उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।

[2] जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: गुड़गांव, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।